भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 2948

दिनांक 05.08.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

खुले में शौच

2948. श्री बृजेन्द्र सिंह:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल, सफाई और स्वच्छता संबंधी यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त निगरानी कार्यक्रम (जेएमपी) की रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 15 प्रतिशत भारतीय अभी भी खुले में शौच करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए शौचालय कार्यशील हों और उनमें पर्याप्त जलापूर्ति हो तथा वे सुलभ हों हेतु क्या कदम उठाए जा रहें हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): जी हां। यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त निगरानी कार्यक्रम (जेएमपी) की रिपोर्ट यथाशीर्षक 'घरेलू पेयजल, स्वच्छता और साफ-सफाई में प्रगति 2000-2020 - एसडीजी में पांच साल' के अनुसार भारत की स्वच्छता की स्थिति निम्नानुसार है:

राष्ट्रीय स्वच्छता अनुमान (%)	
न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं	71
सीमित सुविधाएं (साझा)	12
सुधार नहीं	2
खुले में शौच	15

जेएमपी पद्धति में इस विषय पर किए गए विभिन्न शोधों और रिपोर्टों से डाटा एकत्र करना और उनका उपयोग करके निष्कर्ष निकालना शामिल है। इनमें से कई सर्वेक्षण और रिपोर्ट बहुत छोटे नमूनों पर आधारित होते हैं और इनमें विभिन्न पद्धतियों का उपयोग किया जाता है और आम तौर पर जमीनी स्थिति को नहीं दर्शाया जाता हैं। जेएमपी में जमीनी स्थिति का पता लगाने के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण या अनुसंधान का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए जेएमपी को अधिक से अधिक विभिन्न रिपोर्टों से प्राप्त किए गए अनुमान दिए जाते हैं और यह जमीनी स्तर की स्थिति का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है।

(ख): स्वच्छता राज्य का विषय है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसे राज्य सरकारों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता में सुधार के लिए कार्यान्वित किया गया है। भारत सरकार, राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है और कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करती है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि विधिवत पूर्ण शौचालय में हाथ धोने और सफाई के लिए जल भंडारण की सुविधा होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उचित स्वच्छता बनी रहे। इसके अलावा, एसबीएम(जी) के तहत, ग्रामीण डिब्बे (पैन) का उपयोग किया जाता है जिसमें फ्लशिंग के लिए केवल 1-2 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, जल जीवन मिशन, एक केंद्रीय प्रायोजित योजना जिसे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है, के तहत देश के हर ग्रामीण घर में पाइप से पानी की आपूर्ति करने की परिकल्पना की गई है।

***